संविधान सभा के विचार-विमर्श का विश्लेषण जिसके फलस्वरूप अनुच्छेद 16 (4), 46 और 340 शामिल किए गए

(1) अनुच्छेद 16 (4)

अनुच्छेद 16 (4) जिसे संविधान में समाविष्ट किया गया है अनुच्छेद 10 (3) के प्रारूप के अनुरूप है। इसमें कहा गया है:

"इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य की नियुक्तियों या पदों के किसी भी पिछड़े वर्ग के नागरिकों के पक्ष में व्यवस्था करने से नहीं रोकेगी जिनका राज्य के मतानुसार राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं होता है।"

यह वस्तुतः लोक नियोजन में समान अवसर के सिद्धान्त का अपवाद है जिसका संविधान के इस अनुच्छेद में आश्वासन दिया गया है।

के.एम. मुंशी तथा अम्बेडकर द्वारा प्रस्तुत अनुच्छेद 10 का प्रारूप जिसकी प्रायः यही शब्दावली है 30 नवम्बर, 1948 को सभा के समक्ष विचारार्थ आया और उसमें विभिन्न संशोधन सुझाए गए।

लोकनाथ मिश्र (ओड़िसा सामान्य) ने प्रस्ताव रखा कि खंड 3 को बिल्कुल निकाल दिया जाए। उनकी राय में यह अनावश्यक था क्योंकि इससे "पिछड़ेपन तथा असमता को बल मिलता है।" इसके अतिरिक्त किसी भी नागरिक का यह मूल अधिकार नहीं है कि वह योग्यता के अतिरिक्त किसी अन्य कारण से राज्य में नियोजन प्राप्त करने का दावा करे। खंड 3 के निकालने के लिए इसी प्रकार का तर्क दामोदर स्वरूप सेठ (संयुक्त प्रांत सामान्य) ने इस आधार पर प्रस्तुत किया था कि "यद्यपि यह खंड प्रकटतः न्यायोचित और युक्तिसंगत प्रतीत होता है परन्तु सिद्धान्त की दृष्टि से यह गलत है"।[2] उन्होंने बताया कि पिछड़ा शब्द की परिभाषा करना सरल नहीं है और न ही किसी संप्रदाय या वर्ग के पिछड़ेपन का निश्चय करने के लिए कोई उपयुक्त मानदंड ढूंढना हीं असंभव है।2क उन्होंने दलील दी कि यदि इस खंड को स्वीकार कर लिया गया तो इससे जातिवाद और पक्षपात को बढ़ावा मिलेगा जिसके लिए एक धर्म-निरपेक्ष राज्य में कोई स्थान नहीं होना चाहिए। वैसे पिछड़ा वर्गों को उनकी शैक्षिक योग्यताओं में सुधार लाने के लिए भी उनके रहन-सहन का सामान्य स्तर उन्नत करने के लिए आवश्यक रियायतें दी जा सकती हैं लेकिन जहां तक पदों पर नियुक्ति का प्रश्न है वह तो केवल योग्यता और अर्हता के आधार पर हीं की जानी चाहिए और पिछड़ेपन[3] के आधार पर किसी भी वर्ग

को रियायतें नहीं दी जानी चाहिए।

कुछ और संशोधनों में यह सुझाव दिया गया कि खंड 3 को बनाए रखा जाए, अलबत्ता इसमें कुछ संशोधन कर दिए जाए।

अतः हृदय नाथ कुंजरू ने यह संशोधन सुझाया कि खंड 3 में "आरक्षण के लिए किसी भी व्यवस्था करने से राज्य को नहीं रोकेगा" के स्थान पर ये शब्द रख दिए गए "इस संविधान के प्रारंभ होने के बाद दस वर्ष की अवधि में राज्य को किसी प्रकार का आरक्षण करने से नहीं रोकेगा।"

संशोधन का रूप निम्नलिखित होगा :

इस अनुच्छेद की कोई भी बात इस संविधान के मुक्त होने के बाद दस वर्ष की अवधि में राज्य को पिछड़े वर्ग के नगारिकों के पक्ष में जो-- है पदों पर नियुक्ति के लिए किसी प्रकार के आरक्षण करने से नहीं रोकेगी।[6]

उनके मतानुसार यह वांछनीय नहीं था कि किन्ही संप्रदायों को संरक्षण प्रदान की दृष्टि से दी गई विशेष सुविधाएं अनिश्चित काल तक नहीं बनी रहनी चाहिए। इसके अलावा पिछड़े शब्द की परिभाषा संविधान में कहीं भी नहीं दी गई है। यह बात न्यायालयों के निर्णय पर छोड़ दी गई थी कि कोई वर्ग पिछड़ा वर्ग है या नहीं। उसका विचार था कि पिछड़ा शब्द की परिभाषा सदन में की जानी चाहिए ताकि भविष्य में इसके अर्थ के बारे में कोई विवाद न उठ सके।

अजीज अहमद खां (संयुक्त प्रान्त मुस्लिम) ने यह संशोधन सुझाया कि खंड 3 में पिछड़ा शब्द निकाल दिया जाए। उन्होंने प्रश्न किया कि जब अल्पसंख्यक रिपोर्ट सदन के समक्ष प्रस्तुत की गई थी तो पिछड़ा शब्द उसमें मौजूद नहीं था और अंत में यह निर्णय किया गया था[7] कि उसे शामिल करना अनावश्यक है। इसके अलावा यदि यह संशोधन स्वीकृत नहीं किया गया तो संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 296 और 299 अनुच्छेद 10[8] के प्रतिकूल हो जाएंगे। अनुच्छेद 296 और 299 के प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 335 और 338 के अनुच्छेद 335 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सेवाओं और पदों पर नियुक्ति के लिए दावों का संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त एक विशेष अधिकारी की व्यवस्था है। उस अधिकारी के कर्तव्यों में यह कार्य भी शामिल होगा "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए निर्धारित संरक्षण से संबंधित सभी मामलों की जांच करना" और वह उस पर एक रिपोर्ट राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

इस प्रकार यह जाहिर हो जाता है कि इन अनुच्छेदों में "पिछड़े वर्गों" का कोई उल्लेख नहीं किया गया है जैसा कि अनुच्छेद 10 (3) के प्रारूप में जो कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के अनुरूप है, में किया गया है इस सीमा तक तो इन अनुच्छेदों में परस्पर विरोध है लेकिन फिर भी यह तर्क दिया जा सकता है कि यह परस्पर व्यापन का मामला है क्योंकि अनुच्छेद 16 (4) में उल्लिखित पिछड़े वर्ग के अंतर्गत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों का आरक्षण स्पष्ट रूप से शामिल किया गया है।

जब खण्ड 3 पर सामान्य चर्चा शुरू हुई तो "पिछड़े" शब्द को लेकर मतभेद उठ खड़ा हुआ क्योंकि इस शब्द के विस्तार की परिभाषा ठीक प्रकार से नहीं की गई थी। अतः अरि बहादुर गुरंग (पश्चिम बंगालः सामान्य) प्रश्न उठाया कि क्या "पिछड़े वर्ग" शब्द में इन तीनों श्रेणियों के लोग शामिल हैं जैसे अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और एक विशिष्ट वर्ग जिसे अभी तक "पिछड़े शब्द" के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया था यद्यपि वह शैक्षिक तथा आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा वर्ग है।[9] उन्होंने आग्रह किया कि एक विशिष्ट वर्ग की श्रेणी में गुरखों को जो भारत के अधिशासी हैं कही विशेष सुविधाएं मिलनी चाहिए जो भारत के अन्य पिछड़े संप्रदायों को उपलब्ध हैं।"[10]

जो सदस्य "पिछड़े वर्गों" से संबंध रखते थे और जिन्हें अपने विचार व्यक्त करने का सुअवसर प्रदान किया गया था, सामान्य रूप से खण्ड 3 की व्यवस्था को बनाए रखने के पक्ष में थे। इनमें से अधिकांश ने "पिछड़ा" शब्द के विस्तार के संबंध में अपने संदेह प्रकट किए। उन्होंने एक ऐसे वर्गीकरण के लिए आग्रह किया जिसके अनुसार यह शब्द केवल किसी वर्ग विशेष के लिए लागू किया जा सके। वास्तव में आर.एम. नलवाड़े (बंबईः सामान्य) ने सुझाव दिया कि पिछड़ा वर्ग के स्थान पर "अनुसूचित जातियां" शब्द रख दिए जाएं। उनका तर्क यह था कि "पिछड़े वर्ग" ऐसे अस्पष्ट शब्द हैं कि उनका इस प्रकार निर्वचन किया जा सकता है कि इसके अंतर्गत बहुत से वर्ग शामिल हो जाएंगे जो शैक्षिक दृष्टि से काफी उन्नत है। धर्म प्रकाश (संयुक्त प्रांत सामान्य) ने अनुरोध किया कि पिछड़े वर्ग के स्थान पर "दलित वर्ग" या "अनुसूचित वर्ग" रख दिए जाए क्योंकि इन दोनों के निश्चित अर्थ हैं। उन्होंने कहा कि "पिछड़े वर्ग" की अभी तक परिभाषा नहीं हो पाई और "न ही निकट भविष्य में इसकी परिभाषा होने की कोई आशा है।[13]

अतः उन्होंने इस संशोधन का समर्थन किया कि "पिछड़ा वर्ग" की जगह "अनुसूचित जाति" शब्द रख दिए जाएं। चन्द्रिका राम (बिहारः सामान्य) इस प्रश्न में थे कि "पिछड़ा वर्ग" शब्द के बाद "अनुसूचित जाति शब्द जोड़ दिया जाए।" उन्होंने यह तर्क दिया, चूंकि हरिजनों के आरक्षण की व्यवस्था सेवाओं में है, इसलिए उसी प्रकार की व्यवस्था पिछड़े वर्गों के लिए भी होनी चाहिए। सेठ

दामोदर स्वरूप और लोकनाथ मिश्र के "पिछड़ा वर्ग" शब्द निकाल देने के संशोधन से असहमति व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि जिन लोगों की राय में देश में "पिछड़ा वर्ग" नहीं है उन्होंने हमारे देश के ऐतिहासिक तथ्यों, आधुनिक प्रगतिशील समाज और आजकल के हालात से आंखे मूंद ली हैं।[14]

पी. कक्कन (मद्रासः सामान्य) ने भी अनुच्छेद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सरकार को कुछ वर्षों तक नियुक्तियों में हरिजनों के आरक्षण के लिए विशेष कदम उठाने चाहिए।[15] मुनि स्वामी पिल्लै (मद्रासः सामान्य) ने खण्ड Vi का समर्थन करते हुए इस ओर संकेत किया कि "पिछड़े" शब्द की उचित परिभाषा नहीं दी गई है। उन्होंने यह आशंका व्यक्त की कि पहले प्रशासन ने जिन समुदायों को निकाल दिया था, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों को- क्या उनके लिए व्यवस्था की गई है। उन्होंने मांग की कि सदन को स्पष्ट आश्वासन देना चाहिए कि उनके हितों की रक्षा की जाएगी। सदन के कुछ सदस्यों द्वारा दिए गए इस तर्क को कि आरक्षण की आवश्यकता नहीं है उन्होंने "दूषित धारणा" माना।[16] यह इसलिए कहा क्योंकि जब तक समाज में सांप्रदायिकता का नासूर बना रहेगा तब तक आरक्षण की आवश्यकता रहेगी। किन्तु वे अनुसूचित जाति के केस की वकालत भिन्न कारणों से कर रहे थे अर्थात उन्हें पीछे छोड़ दिया गया था और वर्षों[17] से उसमें सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक प्रगति का अभाव रहा है।

टी. चनय्या (मैसूर) भी "पिछड़े" शब्द को बनाए रखने के पक्ष में थे। उन्होंने कहा कि संविधान के मसौदे में 'पिछड़े' शब्द की परिभाषा न होते हुए भी उत्तर भारत में सभी जानते हैं कि हिन्दुओं में कृषि और शिल्प में लगे लोग "पिछड़े वर्ग" में आते हैं। दक्षिण भारत में "पिछड़े वर्ग" की स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। वे या तो सामाजिक दृष्टि[1]से या शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हैं किन्तु वे पिछड़े नहीं है जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न हैं। मैसूर में 'बी' श्रेणी की रिक्तियों के लिए केवल 'पिछड़े वर्ग' के लोगों के आवेदनों पर विचार किया जाता है जबकि 'ए' श्रेणी की रिक्तियों के लिए आवश्यक और गैर ब्राह्मण दोनों पर विचार किया जाता है। वे अम्बेडकर की इस बात से सहमत हैं कि पिछड़ा शब्द इस कारण बनाये रखना चाहिए कि यदि अनुच्छेद 10[18] के खण्ड (3) में "पिछड़ा वर्ग" न रखा गया तो इस अनुच्छेद के खण्ड (1) और (2) अकृत और शून्य माने जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस वर्ग को जितने समय तक सुविधाओं से वंचित रखा गया है उसे बराबर करने के लिए कुंजरू द्वारा सुझाई गई 10 वर्ष की आरक्षण अवधि को बढ़ाकर 150 वर्ष कर देना चाहिए।

शान्तनु कुमार दास (उड़ीसा:सामान्य) ने भी अनुच्छेद का समर्थन किया। उन्होंने यह राय दी कि "विदेशी शासन के दुष्प्रभाव के कारण" संविधान के आरक्षण के उपबन्धों को हटाना संभव नहीं है। जब तक यह स्थिति रहेगी, तब तक हरिजनों, अनुसूचित जातियों के लिए जिन्हें पिछड़े वर्गों में

शामिल किया गया है, आरक्षण की मांग बनी रहेगी।

एच. जे. खांडेकर (सी पी और बरार: सामान्य) ने खण्ड 3 में "पिछड़ा" शब्द का समर्थन किया उन्होंने यह तर्क प्रस्तुत किया कि इस शब्द के बिना "अनुसूचित जातियों का वह प्रयोजन सिद्ध न होगा जिसकी अपेक्षा की गई है।"[19] उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि उनकी स्थिति शोचनीय है क्योंकि इनके उम्मीदवार यदि कुछ सरकारी पदों के लिए आवेदन करते भी हैं तो उनका चयन नहीं होगा क्योंकि चयन करने वाले लोग दूसरे समुदायों या वर्गों के होते हैं। उन्होंने इस ओर भी ध्यान आकृष्ट किया कि 'पिछड़ा' शब्द अस्पष्ट है और इसकी कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। उन्होंने चंद्रिका राम की इस बात मे असहमति प्रकट की कि इस प्रकार की परिभाषा जनगणना रिपोर्ट में दी गई है। वहां जो परिभाषा दं' गई वह अनुसूचित जाति की है। इसलिए उन्होंने मुनि स्वामी पिल्लै के इस संशोधन का समर्थन किया कि "पिछड़े वर्ग" के बाद 'अनुसूचित जाति' शब्द जोड़ा जाना चाहिए।

इसके विपरीत कुछ सदस्यों ने पिछड़ा शब्द निकाल देने का समर्थन किया क्योंकि उनके विचार में इस शब्द का राज्य सरकार द्वारा गलत अर्थ लगाए जाने की आशंका है जिसके कारण अल्प संख्यक समुदाय के सरकारी सेवा में उचित प्रतिनिधित्व प्राप्त करने में बाधा आ सकती है।

इस प्रकार मोहम्मद इस्माइल साहब (मद्रास : मुस्लिम) ने कहा कि यद्यपि "पिछड़े" शब्द की संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है किन्तु मद्रास में इसका प्रयोग एक निश्चित एवं तकनीकी अर्थ[20] में किया जाता है। सरकार ने इस प्रकार के 150 से अधिक वर्गों की सूची तैयार की है- जो सभी बहुसंख्यक हिन्दू समुदाय के हैं- और यदि अनुसूचित जातियों को उसमें शामिल कर लिया जाता तो इनकी संख्या उस प्रान्त[21] की संपूर्ण जनसंख्या के आधे से अधिक हो जाती। यदि इसका अर्थ यही है तो उन्हें भय है कि अल्प संख्यक समुदाय अर्थात मुसलमान और ईसाइयों में से, इस खण्ड[22] के क्षेत्राधिकार से "पिछड़े वर्गों" को निकाल दिया जाएगा।

अनुच्छेद के प्रारूप के विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे उनका उत्तर के. एम. मुंशी ने दिया। अनुसूचित जाति के सदस्यों के भय के संबंध में अपने विचार इस प्रकार व्यक्त किए।

मैं जीवन में इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकता कि डेढ़ वर्ष के संविधान सभा के अनुभव के पश्चात अनुसूचित जाति के किसी माननीय सदस्य को यह सोचना चाहिए कि उन्हें जब तक वे पिछड़े हैं, पिछड़े वर्गों में क्यों न शामिल किया जाएगा। देखिए, इस सदन में पिछड़े डेढ़ वर्ष से क्या हो रहा है? अनुच्छेद 11 को हीं लीजिए। एक भी गैर अनुसूचित जाति का सदस्य नहीं है जिसने

कभी इसके विषय में आपत्ति की हो।

इसके विपरीत हम सब सदस्य जो अनुसूचित जातियों के नहीं हैं, समाज से इस कलंक को दूर करने के लिए इस मामले में सदा आगे रहे हैं। इस खण्ड के द्वारा हम दो बातों का आश्वासन चाहते हैं। मौलिक अधिकारों के प्रथम खण्ड में हम सरकारी सेवा में उच्चतम दक्षता प्राप्त करना चाहते हैं- साथ हीं साथ देश के अनेक प्रान्तों की वर्तमान दशा को ध्यान में रखते हुए हम यह भी चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, वे वर्ग जो वास्तव में पिछड़े हैं, उन्हें सरकारी सेवा में अवसर प्रदान किया जाए। 'पिछड़े' शब्द का अर्थ पिछड़े वर्ग के लोगों से है वे चाहे छूत हों या अछूत, चाहे इस समुदाय के हो या दूसरे, इसका तात्पर्य उस वर्ग के लोगों से है जो इतना पिछड़े हैं कि सेवाओं में उन्हें विशेष संरक्षण देने की आवश्यकता है....।

टी.टी. कृष्माचारी ने, जो के. एम. मुंशी के बाद बोले, अनुच्छेद 10 के संबंध में कहा कि यह शिथिल प्रारूपण[23] का परिणाम है जिसे मौलिक अधिकारों के अध्याय में उनके विचार से कोई स्थान न दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 3 का उल्लेख करते हुए उन्होंने पूछा कि पिछड़े वर्ग के नागरिक कौन है? यह पिछड़े जाति के लिए लागू नहीं होता। यह किसी अनुसूचित जाति या किसी विशिष्ट [24] समुदाय पर लागू नहीं होता। इसके अतिरिक्त "पिछड़े वर्ग" का निर्धारण करने की कसौटी क्या होगी? उन्होंने शिक्षा को इसका आकार मानकर यह प्रश्न किया कि यदि शिक्षा को वर्गीकरण का आधार मान लिया जाए तो 80 प्रतिशत लोग पिछड़े वर्ग के अन्तर्गत आ जाएंगे। इसका अंतिम निर्णय कौन करेगा? संभवत: उच्चतम न्यायालय[25]। यह संविधान निर्माताओं के विचार का पता लगाएगा कि उनकी दृष्टि में पिछड़े वर्गों में कौन लोग आते हैं। क्या वह वर्ग आर्थिक स्थिति के आधार पर या शिक्षा के आधार पर अथवा जन्म के आधार पर माना जाएगा। किन्तु उन्हें यह विश्वास था कि इसकी व्याख्या अन्तत: उच्चतम न्यायालय ही करेगा जो जाति, समुदाय, धर्म, साक्षरता या आर्थिक स्थिति पर निर्भर होगी। उनके विचार में प्रारूपण समिति ने ऐसा करके वकीलों[26] के लिए रोजगार का अत्यन्त लाभदायक मार्ग प्रशस्त कर दिया है।

बी.आर. अम्बेडकर के अनुच्छेद 10 (3) के प्रारूप की आलोचना का उत्तर देते हुए "पिछड़ा" शब्द अनुच्छेद में सम्मिलित किए जाने को उचित बतलाया क्योंकि प्रारूपण समिति को विपरीत दृष्टिकोणों में समन्वय स्थापित करने के लिए कोई सूत्र (फार्मूला) प्रस्तुत करना था[27] जैसे कि किसी वर्ग या समुदाय को किसी प्रकार का आरक्षण दिए बिना सभी को समान अवसर दिया जाना चाहिए, इसके विपरीत, दूसरा दृष्टिकोण यह था, कि सिद्धांत रूप में समान अवसर का अनुमोदन करते हुए कुछ ऐसे समुदायों के सेवा में प्रवेश की व्यवस्था होनी चाहिए, जो अब तक

प्रशासन[28] से बाहर रहे हैं। इसे ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट है कि अनुच्छेद 10[29] के उपखण्ड (3) में सम्मिलित सूत्र (फार्मूले) से बेहतर कोई दूसरा तरीका नहीं हो सकता।

यदि "पिछड़ा" जैसा विशेषक वाक्यांश इसके साथ न जोड़ा गया तो आरक्षण के पक्ष में बनाए गए अपवाद इस नियम को ही पूरी तरह समाप्त कर देंगे। मैं सोचता हूं यही कारण है कि प्रारूपण समिति ने "पिछड़ा" शब्द जोड़ने की जिम्मेदारी अपने कंधे पर ली। मैं यह मानता हूं कि "पिछड़ा" शब्द को मौलिक अधिकार में प्रारंभ में उस रूप में नहीं लिया गया, जिस रूप में इस सभा ने उसे पारित किया था।

अन्त में उन्होंने उन दो प्रश्नों का उल्लेख किया जो संविधान सभा में बहस के समय उठाए गए थे, जैसे पिछड़े समुदाय की परिभाषा और प्रारूप अनुच्छेद के खण्ड 3 का औचित्य "पिछड़े समुदाय" के संबंध में उन्होंने कहा कि जो प्रारूप की भाषा पढ़ेगा उसे पता चल जाएगा कि मैंने इसका निर्णय प्रत्येक स्थानीय सरकार पर छोड़ दिया है। पिछड़ा समुदाय वह समुदाय है जो सरकार[30] की राय में पिछड़ा है। प्रारूप अनुच्छेद के खण्ड 3 के संबंध में उन्होंने यह विचार व्यक्त किया कि इसका कोई निश्चित उत्तर देना कठिन है। किन्तु व्यक्तिगत रूप में मैं सोचता हूं कि यह एक न्याट्य मामला [31] है।

जब इस पर मतदान हुआ तो संविधान सभा ने अनुच्छेद संबंधी संशोधनों को निरस्त कर दिया और उसे बिना किसी संशोधन या परिवर्तन के स्वीकार कर लिया गया, किन्तु प्रारूपण समिति ने बाद में इसे 16 (4) की संख्या दे दी।

निष्कर्ष

प्रारूपण समिति द्वारा संविधान में यह खण्ड सम्मिलित किए जाने के उद्देश्य को के.एम. मुंशी ने विस्तार से बताया- अर्थात इसका उद्देश्य सेवा में "पिछड़े वर्गों" को प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने में संरक्षण देना- यह संरक्षण की आवश्यकता इस समय देश के विभिन्न भागों में विद्यमान स्थितियों के कारण उत्पन्न हुई। चूंकि पिछड़े शब्द की संविधान में कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है इसलिए इस पर विवाद होना स्वाभाविक है। किन्तु प्रारूपण समिति के सभापति, अम्बेडकर ने इसके सम्मिलित किए जाने को पूर्णतः उचित बताया। उन्होंने ठीक हीं कहा कि यदि इस प्रकार का विशेषांक वाक्यांश न प्रयोग किया जाएगा तो आरक्षण के पक्ष में बनाए गए अपवाद अन्ततः इस नियम का उद्देश्य पूरी तरह समाप्त कर देंगे।

संविधान सभा की बहस से पता चलता है कि प्रारूप बनाने वालों को स्वयं भी इस बात का ठीक-ठीक पता नहीं था कि "पिछड़ेपने" को निर्धारित करने के लिए क्या कसौटी रखी जाए। इस मामले में वे लचीला रुख अपनाना चाहते थे। उनके विचार से प्रत्येक सरकार "पिछड़ेपन" का निर्धारण करेगी और अन्ततः न्यायालय इसकी समीक्षा करेगा। एक दो सदस्यों ने यह विचार भी व्यक्त किया कि साक्षरता और व्यवसाय आदि को हीं पिछड़ेपन का कारण माना जाए। यह भी कहा गया कि 'पिछड़े वर्गो' के अन्तर्गत अनुसूचित जातियां भी आ जाती हैं।

पाद टिप्पणियां

1. सी.ए. डी. खण्ड vii पृष्ठ 673
1 क. तजम्मुल हुसैन ने इसे निकाल देने का सुझाव दिया था. संविधान प्रारूप iV चयन किए गए प्रलेख 31-2 में टीका टिप्पणी और सुझाव देखें।
2. सी.ए.डी. खण्ड vii पृष्ठ 679
2 क - वही-
3 -वही-
4 -वही -
5 सी.ए.डी. खण्ड vii पृष्ठ 679
6 टी.ए. रामलिंगम चेटियार ने भी ऐसा हीं सुझाव दिया था। देखें संविधान प्रारूप V। चयन किए गए प्रलेख 312 टीका टिप्पणी देखें।
7 ऊपर 681 पर टिप्पणी
8 भव्य सुझाव श्री आर.आर. दिवाकर और एस.बी. कृष्णामूर्ति ने खण्ड 3 में "पिछड़े शब्द के पहले" आर्थिक दृष्टि से सांस्कृतिक दृष्टि से शब्द जोड़ने का सुझाव दिया और उपेन्द्रनाथ बर्मन ने पिछड़े शब्द के पहले 'अनुसूचित जाति' शब्द शामिल करने के लिए कहा देखिए ऊपर का नोट 1 क।
9 ऊपर का नोट 1 पृष्ठ 685
10 -वही-
11 -वही- पृष्ठ 686
12 - वही- पृष्ठ 687
13 -वही- पृष्ठ 686
14 -वही- पृष्ठ 688
15 -वही-
16 -वही- पृष्ठ 689
17 -वही-
18 -वही- पृष्ठ 690
19 -वही- पृष्ठ 691
20 -वही- पृष्ठ 692
21 -वही-
22 -वही- पृष्ठ 693
23 -वही- पृष्ठ 696-7
24 वही-697

24 क ऊपर का नोट 1 पृष्ठ 699
25 -वही-
26 -वही
27 -वही- पृष्ठ 701
28 -वही-
29 -वही-
30 -वही- पृष्ठ 702
31 -वही-

॥ अनुच्छेद 46

संविधान का अनुच्छेद 46 जो संविधान के प्रारूप के पैरा 37 के तदनुरूप है, उसमें यह कहा गया है:

"राज्य सरकार कमजोर वर्गों के लोगों और विशेष रूप से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों का विशेष रूप से ध्यान रखेगी और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगी।"

संविधान सभा में इस अनुच्छेद पर 23 नवम्बर, 1948 को विचार किया गया। इसके बारे में दो संशोधन प्रस्तुत किए गए।

हुकुम सिंह (पूर्वी पंजाबः सिख) ने सुझाव दिया कि 'अनुसूचित जाति' शब्दों के लिए "प्रत्येक वर्ग और फार्म के पिछड़े समुदाय" शब्द रखा जाना चाहिए।[1] उन्होंने यह तर्क दिया कि 'कमजोर वर्ग' की कहीं भी परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए इस प्रकार की आशंका हो सकती है कि बाद वाले भाग पर अधिक ध्यान दिया जाए जो कि अनुसूचित जाति से संबंधित है, परिणामस्वरूप 'कमजोर वर्गों' की उपेक्षा कर दी जाए और उसका कुछ अर्थ हीं न रह जाए[2]। उन्होंने कहा कि संशोधन प्रस्तुत करने का एकमात्र उद्देश्य किसी भी प्रकार के भेदभाव को दूर करना था। उन्होंने इस संदर्भ में कहा कि "अनुसूचित जाति" का आशय जनता की दृष्टि में उन्हीं जातियों के "सिखधर्म"[3] मानने वाले सदस्यों को निकालना था। उनके विचार में चूंकि अनुच्छेद में 'शैक्षिक और आर्थिक' हितों की बात कही गई है इसलिए यह स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए कि यह सभी पिछड़े वर्गों के लिए होना चाहिए, यह किसी विशेष धर्म या विश्वास के प्रति श्रद्धा रखने वाले लोगों के लिए न होना चाहिए।[4]

दूसरा संशोधनः- ए.बी. ठक्कर (युनाइटेड स्टेट ऑफ काठियाबाड़ : सौराष्ट्र) ने पेश किया , जिसमें यह सुझाव दिया कि हिन्दुओं और मुसलमानों में पिछड़ा वर्ग शामिल किया जाए।[5] इस

संशोधन पर चर्चा के समय प्रारूप समिति के सभापति बी. आर. अम्बेडकर ने यह विचार व्यक्त किया कि उपर्युक्त दोनों संशोधन अनुसूचि के लिए अधिक उपयुक्त होंगे।[6] और उस पर चर्चा के समय इन पर विचार किया जाएगा। इस प्रकार उन्होंने उन पर विचार स्थगित कराने कराने का सुझाव दिया। परिणागतः ए. बी. ठक्कर ने कहा कि वे इस स्तर पर अपना संशोधन न रखेंगे जबकि हुकुमसिंह ने अपना संशोधन जो स्वीकार कर लिया गंया था, वापस ले लिया।

जब यह प्रस्ताव कि अनुच्छेद 37 संविधान[7] का एक अंग है सदन में मतदान के लिए पेश किया गया, पास हो गया और बाद में अनुच्छेद 37 को अनुच्छेद 46 की संख्या देकर उसे संविधान में जोड़ दिया गया।

पाद टिप्पणियां

1 Vii सी.ए. डी. 562
2 - वही- पृष्ठ 583
3 -वही
4 -वही-
5 -वही-
6 -वही-
7 -वही-

III अनुच्छेद 340

संविधान का अनुच्छेद 340 जो संविधान के प्रारूप के अनुच्छेद 301 के तदनुरूप है, उसमें यह व्यवस्था है :-

(1) संपूर्ण भारत के सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए वर्गों की परिस्थितियों और जिन कठिनाइयों में वे काम करते हैं, उनका पता लगाने के लिए राष्ट्रपति अपने आदेश से ऐसे व्यक्तियों का जिन्हें वह उचित समझे एक आयोग गठित कर सकता है। यह आयोग इनकी कठिनाइयां दूर करने और दशा सुधारने के संबंध में अपनी सिफारिश देगा जिसे केंद्र या राज्य सरकार अपनाएंगी। यह आयोग इस प्रयोजन के लिए अनुदान की सिफारिश के साथ ऐसी शर्तें भी सुझाएगा जिनके अधीन अनुदान दिया जाएगा। आयोग गठित करने के आदेश में आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली कार्य-विधि भी दी रहेगी।

(2) इस प्रकार गठित किया गया आयोग उन सभी मामलों की जांच करेगा जो उसे सौंपे जाएंगे और जो तथ्य उसके सामने आएंगे उनकी रिपोर्ट उपयुक्त सिफारिशों के साथ राष्ट्रपति को प्रस्तुत करेगा।

(3) राष्ट्रपति, इस रिपोर्ट पर दी गई कार्यवाही के स्पष्ट ज्ञापन के साथ रिपोर्ट की एक प्रति संसद में प्रस्तुत करेगा।

अनुच्छेद 361 का प्रारूप 16 जून, 1948 को संविधान सभा के प्रथम विचारार्थ प्रुत्त किया गया। उस समय इस संबंध में कई संशोधन सुझाए गए।

के.वी. कामत (सी.पी. और बरारः सामान्य) ने अनुच्छेद के प्रारूप के खण्ड 1 में से "ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें वह योग्य समझे" शब्दों को निकाल देने का प्रस्ताव किया, क्योंकि उनके विचार से ये शब्द "पूर्णतः अनावश्यक थे[1]।" उन्होंने यहां तक कहा कि यह राष्ट्रपति[2] की बुद्धिमत्ता पर आक्षेप है।' उन्होंने दूसरा संशोधन का सुझाव दिया अर्थात अनुच्छेद के खण्ड 1 में "कठिनाइयां" शब्द के लिए निर्योग्यता[3] शब्द रखा जाए। उनके विचार से उत्तरवर्ती शब्द से अधिक उपयुक्त भाव प्रकट होता है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 9 (संविधान का अनुच्छेद 15, जिसमें कहा गया है कि धर्म, वंश, जाति, स्त्री-पुरुष और जन्म-स्थान के कारण किसी प्रकार का भेदभाव न किया जाएगा) में कठिनाई शब्द नहीं है। इसके स्थान पर इसमें किसी निर्योग्यता, दायित्व, प्रतिबंध, शर्त आदि का उल्लेख किया गया है। इस अनुच्छेद को संविधान सभा पहले हीं पास कर चुकी है। उनके मत में "कठिनाई" शब्द संविधानिक नहीं प्रतीत होता। इसके विपरीत निर्योग्यता शब्द कहीं अधिक उपयुक्त है।[4] उन्होंने कई अन्य संशोधन सुझाएं[5]।

1. अनुच्छेद 301 के खण्ड 1 में "अनुदान दिया जाना चाहिए" शब्दों के स्थान पर "अनुदान की व्यवस्था की जाए" रखा जाना चाहिए।

2. अनुच्छेद 301 के खण्ड (I) (पंक्ति 10) में 'और' शब्द के स्थान पर भी शब्द रखा जाना चाहिए।

3. अनुच्छेद 301 के खण्ड (2) में प्रयुक्त उनके द्वारा पता लगाए गए तथ्यों की एक रिपोर्ट के स्थान पर, "उस संबंध में एक रिपोर्ट" शब्द रखे जाने चाहिए।

4. अनुच्छेद के प्रारूप के खण्ड (3) में "इसके बारे में की गई कार्रवाई का स्पष्टीकरण देने वाले ज्ञापन के साथ" शब्दों को निकाल कर "इस प्रकार आगे कार्रवाई के लिए जो आवश्यक हो" शब्द अन्त में जोड़ दिए जाएं।

पहले सुझाव के बारे में उन्होंने कहा कि यह केवल मौखिक संशोधन या और इसे प्रारूपण समिति की सामूहिक जिम्मेदारी पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने यह विचार व्यक्त करके कि 'भी' शब्द

'और' शब्द की अपेक्षा अधिक उपयुक्त भाव व्यक्त करता है, दूसरा सुझाव भी उन पर छोड़ दिया। तीसरा संशोधन "संक्षिप्तता और स्पष्टता"[6] लाने के लिए था। चौथे और अंतिम सुझाव का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति संसद में किस ढंग से रिपोर्ट प्रस्तुत करें और इसे नियंत्रित करना बुद्धिमानी नहीं कहा जा सकता।

इस संशोधन के दूसरे भाग में यह तर्क दिया गया था कि राष्ट्रपति को नहीं, संसद को इस संबंध में आगे की आवश्यक कार्रवाही करनी चाहिए।

प्रारूपण समिति के सभापति बी. आर. अम्बेडकर ने सुझाव दिया कि अनुच्छेद के प्रारूप के खण्ड (3) में प्रयुक्त 'संसद' शब्द के स्थान पर 'संसद का प्रत्येक सदन'शब्द रखे जाएं'।

दो अन्य संशोधन जिनका नोटिस ठाकुरदास भार्गव (पूर्वी पंजाबः सामान्य) ने दिया था, नहीं पेश किए गए, इसके बदले उन्होंने अनुच्छेद के संबंध में बोलने की इच्छा व्यक्त की।

इस स्तर पर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद और संशोधनों की चर्चा के लिए प्रस्तुत किया। ठाकुरदास भार्गव तथा शिम्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रान्त, सामान) दोनों ने अनुच्छेद के प्रारूप का समर्थन किया।

ठाकुरदास भार्गव ने इसे "संविधान की आत्मा"[8] कहा। इस अनुच्छेद का उद्देश्य, इस प्रक्रिया को पूरा करना, अथवा उन्हें (पिछड़े वर्गों को) सामान्य स्तर तक लाना है। इस अनुच्छेद से संपूर्ण राष्ट्र का यह दायित्व हो जाता है वह सभी कठिनाइयां और निर्योग्यतायें दूर करे। इसीलिए यह पिछड़े वर्गों की स्वतंत्रता का वास्तव में एक चार्टर है[9]. जब तक व सामान्य स्तर तक न पहुंच जाए, उस समय तक उन्हें सुविधाएं दी जाएं और यह अवधि कुछ निश्चित वर्षो तक सीमित न की जाए। किन्तु यह स्तर प्राप्त कर लेने पर उन्हें "पिछड़े वर्गो" की श्रेणी से निकाल दिया जाए[10]।

इसके अतिरिक्त अनुच्छेद के प्रारूप के खण्ड (1) के संदर्भ में, जिसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति आदेश द्वारा नियुक्ति आदि[11] कर सकता है" उन्होंने एक संशोधन का नोटिस दिया कि 'कर सकता है' के स्थान पर करेगा। शब्द रखा जाए। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि कर सकता है शब्द प्रयुक्त किया जाए तो भी राष्ट्रपति का यह दायित्व है कि वह 'आयोग' गठित करे। इसलिए कर सकता है शब्द का अर्थ 'करेगा' ही लिया जाए। उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यको अर्थात मुसलमानों और सिखों का संरक्षण अब वापस ले लिया गया। संसद की अब एकमात्र जिम्मेदारी अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गो की है। उन्होंने कहा कि केवल इस अनुच्छेद का प्रारूप हीं प्रस्ताव के उद्देश्यों

का मूर्तरूप है और इसी में वह विधि बताई गई है जिससे प्रस्ताव को कार्यान्वित किया जा सकता है। उन्होंने अनुच्छेद में इस प्रकार के उपबंध का सुझाव दिया कि यह केवल उन्हीं समुदायों पर लागू नहीं होगा जिनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है बल्कि उन सभी समुदायों पर लागू होगा जो पिछड़े[12] है। शिब्बन लाल सक्सेना ने यह आशा व्यक्त की कि जो आयोग संपूर्ण भारत में पिछड़े वं की स्थिति को पता लगा रहा है "पिछड़े वर्ग" की परिभाषा भी देगा, क्योंकि इसके प्रयोग के बावजूद अभी तक संविधान में कहीं भी इसकी परिभाषा नहीं दी गई है।

जब संशोधन मतदान के लिए प्रस्तुत किए गए तो अम्बेडकर द्वारा सुझाव गए एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी अस्वीकार कर दिए गए। यथा[13] संशोधित अनुच्छेद 301 की संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रस्ताव पास हो गया। इस प्रकार बाद में इसे 340 की संख्या देकर संविधान में जोड़ दिया गया।

पाद टिप्पणियां

1 Viii सी.ए.डी. 943
2 -वही-
3 -वही-
4 -वही-
5 -वही- पृष्ठ 944
6 -वही-
7 -वही- पृष्ठ 945
8 -वही- पृष्ठ 946
9 -वही-
10 -वही-
11 -वही-
12 -वही- पृष्ठ 947
13- अनुच्छेद 301 के खण्ड (1) में एच.बी. कामथ द्वारा सुझाया गया यह संशोधन कि "अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए" के स्थान पर "अनुदान दिया जाना चाहिए।"